



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032023-243973  
CG-DL-E-01032023-243973

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 896]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2023/फाल्गुन 9, 1944

No. 896]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2023/PHALGUNA 9, 1944

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली 28 फरवरी, 2023

का.आ. 933(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, (NH227B) के कि.मी. 138.300 से कि.मी. 155.93 (PKG-V) तक के उत्तर प्रदेश राज्य में पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

### अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH227B पर भूमि का अधिग्रहण।

| क्रमिक संख्या | सक्षम प्राधिकारी     | भूमि का विवरण      | राज्य        | जिले का नाम | तालुक का नाम | गांव का नाम    |
|---------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
| 1             | 2                    | 3                  | 4            | 5           | 6            | 7              |
| 1             | विशेष भूमि अध्याप्ति | राष्ट्रीय राजमार्ग | उत्तर प्रदेश | बाराबंकी    | रामसनेहीघाट  | 1 गुलचप्पा कला |

